

5966

548

सूचना चाहने के लिये आवेदन का प्ररूप संख्या 3

[धारा 4(1) राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, देखिये]

TO,


कार्यालय लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय SECRETARY
D/O REVENUE
M/O FINANCE
NEW DELHI

1. आवेदक का नाम : आशीष पाण्डेय आयु 39 वर्ष
पिता का नाम : स्व. श्री रघुनाथ पाण्डेय (सिपाही) C-B-N
2. पता : आदर्श कालोनी माला रोड, कोयल जं.
पिन कोड 324002 मोबा. नं. 80582 96196

3. सूचना से संबंध : केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में अनुकम्पा
4. सूचना की विशिष्टियां: निष्क्रिय के संबंध में

(i) उस विभाग/कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है

SECRETARY
D/O REVENUE
M/O FINANCE
NEW DELHI



(ii) सूचना की प्रकृति

उद्धानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई जानने कावत्

(iii) सूचना के पूर्ण ब्योरे

सूचना के अधिकार के तहत धार्य जानने चाँहता हूँ
आपने इस पत्र पर क्या कार्यवाही की है कार्यवाही की
समस्त जानकारी भिजवाने की कृपा करे पत्र संलग्न है P-1

5. क्या फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर दिया गया है। हां/नहीं

B.P.L धारक सूची संलग्न
पोस्टल आर्डर नं. दिनांक 13-10-2014 Rs.

मैं यह और कथन करता हूँ कि चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 5 में अन्तर्विष्ट निर्बन्धन के अंतर्गत नहीं आती है।

स्थान : कोयल
दिनांक : 13-10-2014
समय : 3:10

आशीष पाण्डेय

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम आशीष पाण्डेय पुत्र स्व. श्री रघुनाथ पाण्डेय
आयु 39 वर्ष जाति ब्राह्मण
निवासी आदर्श कालोनी माला रोड कोयल
मोबा. नं. 80582-96196

उक्त आवेदन की एक प्रति आगामी कार्यवाही हेतु सरक्षित रख ली गई है।

**
*



pl/m
hns
16/10

सूचना का अधिकार

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकारी लागू किया है। सूचना आयोग तथा विभिन्न राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। भारत सरकार की इस नई पहल का अधिकार लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश से कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्न प्रकार है।

सूचना कैसे लेंगे ?

सभी विभागों में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके पास जाकर सूचना के लिए अर्जी दे सकते हैं। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन देकर सम्बंधित अधिकारी से अर्जी जमा कराने की रसीद जरूर लेनी चाहिये। अर्जी के साथ 10/-रूपये की आवेदन फीस जमा करानी होगी। बी.पी.एल. परिवारों से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

फीस :-

सूचना की प्रतियों के लिए 2/-रूपये प्रति पेज फीस लगेगी। यदि दस्तावेजों का निरीक्षण कराना चाहते हैं तो पहले एक घण्टे तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। एक घण्टे के बाद हर 15 मिनट निरीक्षण करने का 5/-रूपये शुल्क देना होगा।

अपील :-

यदि अर्जी लगाने के बाद 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो बाद में अपील कर सकते हैं। सरकार ने तहसील स्तर पर तहसीलदार, उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) को सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (एस.डी.एम.) को जिला लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। जहां अपील कर सकते हैं। इसके निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर अगली अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है।

जुर्माना 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देने, गलत या भ्रामक सूचना देने पर सम्बंधित अधिकारी पर 250/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000/-रूपये तक हो सकती है।